रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271743
CG-DL-E-11042026-271743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1787] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
No. 1787] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

**सं. 73/2025-26**

**विषय: विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 4.43 में रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए एक-कालिक छूट में संशोधन।**

**का.आ. 1856(अ).—** समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक संकट के कारण निर्यातकों के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए जन हित में एफटीपी 2023 के पैरा 4.43 में संशोधन करती है।

| मौजूदा पैरा 4.43 | संशोधित पैरा 4.43 |
|---|---|
| निर्यातकर्ता (पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपये के वार्षिक निर्यात कारोबार के साथ) या प्रक्रियाओं की पुस्तक के पैरा 4.73 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के | निर्यातकर्ता (पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपये के वार्षिक निर्यात कारोबार के साथ) या प्रक्रियाओं की पुस्तक के पैरा 4.73 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के |

| | |
|---|---|
| भारत में अधिकृत कार्यालय / एजेंसियां निर्यात की तारीख से 3 महीने के भीतर शून्य शुल्क पर पुन: आयात सुविधा के साथ प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.73 के तहत उल्लिखित किसी भी एजेंसी / प्रयोगशाला को कट और पॉलिश हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट या उससे अधिक) का निर्यात कर सकते हैं। शून्य शुल्क पर पुन: आयात की ऐसी सुविधा केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशानिदेशों के अध्यधीन होगी। | भारत में अधिकृत कार्यालय / एजेंसियां निर्यात की तारीख से 3 महीने के भीतर शून्य शुल्क पर पुन: आयात सुविधा के साथ प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.73 के तहत उल्लिखित किसी भी एजेंसी / प्रयोगशाला को कट और पॉलिश हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट या उससे अधिक) का निर्यात कर सकते हैं। शून्य शुल्क पर पुन: आयात की ऐसी सुविधा केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशानिदेशों के अध्यधीन होगी। तथापि, एक बार की छूट के रूप में, ऐसे मामलों में जहां पुनः आयात अवधि 01 मार्च, 2026 और 31 मई, 2026 के बीच समाप्त हो रही है, ऐसी पुनः आयात अवधि स्वतः ही उसकी समाप्ति की तारीख से 30 दिनों तक बढ़ जाएगी। |

**इस अधिसूचना का प्रभावः** तराशे हुए और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यातकों की विनिर्दिष्ट श्रेणी को अब मार्च 01, 2026 और 31 मई, 2026 के भीतर पुनः आयात की तारीख वाले शिपमेंट के लिए एफटीपी के पैरा 4.43 में शून्य-शुल्क पर पुनः आयात सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुल चार महीने (तीन महीने के स्थान पर) मिलेंगे। यह छूट मौजूदा क्षेत्रीय अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली लॉजिस्टिक बाधाओं और पारगमन देरी को संबोधित करने के लिए प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/61/180/116/एएम-26/पीसी-4]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2026

**No. 73/2025-26**

**Subject: Amendment to Paragraph 4.43 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023-One-time relaxation for the Gems and Jewellery Sector.**

**S.O. 1856(E).—** In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023,as amended time to time, the Central Government hereby makes the following amendment in Para 4.43 of FTP 2023, in public interest, to mitigate the hardships faced by exporters due to the ongoing geo-political crisis in West Asia:

| Existing Para 4.43 | Revised Para 4.43 |
|---|---|
| An exporter (with annual export turnover of Rs 5 crores for each of the last three years) or the authorized offices/agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.73 of Hand Book of Procedures may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.73 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within 3 months from the date of export. Such facility of re- import at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue. | An exporter (with annual export tumover of Rs 5 crores for each of the last three years) or the authorized offices/agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.73 of Hand Book of Procedures may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.73 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within 3 months from the date of export. Such facility of re- import at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue. |

| | |
|---|---|
| | However, as a one-time relaxation, in cases where the re-import period is expiring on or between March 01, 2026 and May 31, 2026, such re- import period shall automatically stand extended by 30 days from the date of its expiry |

**Effect of this Notification:** Specified category of Exporters of cut and polished diamonds will now have a total of four months (instead of three months) to avail zero-duty re-import facility in Para 4.43 of FTP for shipments whose date of re- import falls within March 01, 2026 and May 31, 2026. This relaxation is provided to address logistical bottlenecks and transit delays arising from the current regional instability.

[F. No. 01/61/180/116/AM26/PC-4]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.11 17:55:28 +05'30'